

नमस्तर व ताम्र
अहकाम जो
श्री तामील में जाति

प्रार्थनालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

मिसल संख्या :- 236 / 2022

निर्णय दिनांक :- 08.06.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :-

1. आशा पुत्री गोर्धन जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
2. गणेश पुत्र जगदीश जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
3. दुर्गालाल पुत्र जगदीश जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
4. पारस पुत्री गोर्धन जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
5. बद्रीलाल पुत्र जगदीश जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
6. राममूर्ति पत्नि रामराज जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
7. रामेश्वरी पत्नि गोर्धन जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
8. राहूल पुत्र रामराज जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
9. शुभम पुत्र रामराज जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
10. शीला पुत्री गोर्धन जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
11. सत्यनारायण पुत्र जगदीश जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)
12. हेमराज पुत्र गोर्धन जाति तेली उम्र बालिग निवासी दौलता तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)

-प्रार्थीगण पक्ष-

बनाम

तहसीलदार महोदय, तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)

-अप्रार्थी पक्ष-

उपस्थित :-

श्री सुनील कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
देवली


प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 266 ख0नं0 1078 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 1078/4492 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला-टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि का पड़ोसी खातेदार नगरपालिका से सीमा विवाद है और उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 में दर्ज आराजी खाता संख्या 266 ख0नं0 1078 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 1078/4492 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला-टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
देवली